पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए और तदपत्तर रिहा किए व्यक्तियों के क्षेत्र-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	1994	1995	1996
क्षेत्र			
मुम्बई	151	116	90
कलकत्ता	103	13	29
दिल्ली	40	32	19
जालंधर	13	13	28
चेन्नई	58	54	47
	365	228	213

फेरा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों को राज्यवार नहीं रखा गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। फिर भी, सरकार उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाही पर नियमित रूप से निगरानी रखती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और बड़े अस्पतालों में रोगियों को आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाना

*330. **श्री अनन्तराय देवशंकर देव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में नए निर्वचन के संबंध में अध्ययन किया गया है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और बड़े अस्तपालों में रोगियों को आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाने का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा त्रिपुरा और गुजरात सरकारों सहित, क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार गुजरात राज्य के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर और गांधी नगर शहरों में जरूरतमंद रोगियों के लिए पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की व्यवस्था करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी, हां।

(ख) उच्चयम न्यायालय के निर्देश सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों और सभी केन्द्रीय सरकारी अस्तपालों को भेज दिए गए हैं ताकि माननीय न्यायालय के आदेशों को लागू करने हेतु उचित कार्रवाई की जा सके। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से और आपातकालीन परिचर्या सहित द्वितीयक स्तीरय अस्पतालों को सुदृढ़ करने हेतु बाह्य सहायता का लाभ उठाकर स्वास्थ्य कार्य ढांचे में वृद्धि करने में राज्य सरकारों की चरणबद्ध ढंग से सहायता की जा रही है। राज्यों के अस्तपालों के आपात विभागों में सुधार करने संबंधी मुद्दे पर केन्द्रीय सरकार और परिवार कल्याण परिषद की पिछली अखिल भारतीय बैठक के दौरान चर्चा की गई और एक सकंल्प राज्यों द्वारा अंगीकार किया गया जो इस प्रकार है:—

(i) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जरूरतमंद रोगियों हेतु आपातकालीन उपचार सुविधाएं स्थापित करने में भारत के माननीय उच्चयम न्यायालय के आदेशों को लागू करने हेतु उपयुक्त कार्यवाही करें।

(ii) इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्कीमें बनाई जाएं और वित्तीय जरूरतों को योजना आयोग को प्रक्षेपित किया जाए।

(iii) सिफारिश की जाती है कि केन्द्रीय सरकार/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अतिरिक्त अभिघात केन्द्र स्थापित करें।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारें प्रारंभिक तौर पर अपनी समग्र प्राथमिकताओं और वित्तीय संसाधनों के भीतर अस्पताली सुविधाएं प्रदान करने हेतु जिम्मेवार है।

Foreign Assistance to Eliminate Aids

*331. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the total number of persons affected by AIDS (positive) in the country as on date;

(b) the areas where the cases of AIDS are reported heavily;